मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-08.06.2016 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C. /L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

1. बैठक हेतु पर्यटन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। अत: मुख्य सचिव, बिहार द्वारा खेद व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों को ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

2. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि बिहार राज्य के विरुद्ध प्रत्येक माह जितने नये मामले दायर किए जाते है, उससे अधिक संख्या में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने का प्रयास सभी विभागों द्वारा किया जाना चाहिए। गत माह राज्य सरकार के विरुद्ध 1290 नये मामले दायर किए गए जबकि 1470 मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। इसी क्रम को भविष्य में भी बनाए रखने का निर्देश मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिवों को दिया गया।

3. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा परिवहन विभाग में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु लंबित MJC के मामलों पर चर्चा के क्रम में पाया गया कि परिवहन विभाग में MJC के 26 मामले प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु लंबित है। इसी प्रकार CWJC के लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के मामले में पर्यावरण एवं वन विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा इस संदर्भ में चिंता व्यक्त करते हुए लंबित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु निर्देश दिया गया।

4. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा लंबित CWJC एवं MJC के मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के संबंध में **समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, निबंधन उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग एवं वाणिज्यकर विभाग** के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया गया। जबकि MJC के लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने में **समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग** का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया।

5. CWJC के मामलों में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों में **पर्यावरण एवं वन विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पथ निर्माण विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, एवं शिक्षा विभाग** रहे। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा खेद व्यक्त करते हुए लंबित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को निर्देश दिया गया। इसी प्रकार MJC के मामलों में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों में **परिवहन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कृषि विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग** है। जिनके द्वारा गत माह MJC के लंबित मामलों में से एक भी मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर नहीं किया गया है, इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा चिंता व्यक्त करते हुए लंबित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर करने का निदेश दिया गया।

कृ0पृ0उ0

6. CWJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु सर्वाधिक मामले शिक्षा विभाग (1254 मामले), स्वास्थ्य विभाग (654 मामले), समाज कल्याण विभाग (516 मामले) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (496 मामले), एवं ऊर्जा विभाग (248 मामले) में लम्बित है। इसी प्रकार MJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु सर्वाधिक मामले शिक्षा विभाग (101 मामले), स्वास्थ्य विभाग (70 मामले), परिवहन विभाग (26 मामले), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विभाग (18 मामले) एवं कृषि विभाग (17 मामले) में लम्बित है। इन विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को मुख्य सचिव, बिहार की ओर से पत्र लिखने का निर्देश विधि विभाग को दिया गया है, साथ ही साथ सभी विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को अपने विभाग के लम्बित सभी मामलों में समुचित प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करना सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव की ओर से पत्र भेजने का निर्देश विधि विभाग को दिया गया।

7. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित मामलों में कुछ अधिवक्ताओं द्वारा ठीक ढंग से कार्य नही किया जा रहा है। उन्होंने विभाग के स्तर से वैसे अधिवक्ताओं को चिन्हित करते हुए, उन अधिवक्ताओं की सूची सोमवार (दिनांक-13.06.2016) तक विधि विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश देते हुए Works Departments को यह भी यह निदेश दिया कि उनके नियंत्रणाधीन न्यायाधिकरणों में कौन-कौन से अधिवक्ता ठीक से सरकार का पक्ष नही रखते हैं, इसकी भी सूची सोमवार (दिनांक-13.06.2016 तक) तक निश्चित रूप से विधि विभाग का उपलब्ध करा दी जाये।

धन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/3899 जे0 पटना, दिनांक- 16-06-16

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.6.2016

(संजय कुमार)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/3899 जे0 पटना, दिनांक- 16-06-16

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.6.2016

(संजय कुमार)
सरकार के सचिव, बिहार।